

To: "Monitoring Evaluation" <menrh@gmail.com>
Cc:

To
Respected sir
Plz find attached Supportive supervision vehicle information.district- gonda for your kind consideration.

3 attachments



IMG20171230161431.jpg
3089K



IMG-20180117-WA0020.jpg
79K



IMG-20180117-WA0021.jpg
76K

Wed, Jan 17, 2018 at 3:58 PM

DPMUGONDA <dpmu.gonda@gmail.com>
Reply-To: dpmugonda@gmail.com
To: Monitoring Evaluation <menrh@gmail.com>

[Quoted text hidden]

3 attachments



IMG20171230161431.jpg
3089K



IMG-20180117-WA0020.jpg
79K

IMG-20180117-WA0021.jpg

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 606351

अनुबन्ध-पत्र

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदरस्ट सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी जनधर गोण्डा।

द्वितीय पक्ष मेसर्स, आन घल्ली परीत सविरोस, रामसामुर, मनकापुर, गोण्डा।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदरस्ट सचिव जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, गोण्डा द्वारा एन०एच०एम० के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में टीमों के भ्रमण हेतु टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 17.07.2017 को सम्पादित किया गया।

1. मिशन निदेशक, एन०एच०एम० लखनऊ के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/आर०बी०एस०के० / 2/2014-2015/4120-2 दिनांक 16.12.2014 एवं पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/आर०बी०एस०के० / 1/2017-18/1139-75 दिनांक 17.05.2017 के अन्तर्गत समस्त नियम शर्तों का दोनों पक्ष पालन करेंगे।
2. द्वितीय पक्ष जिला गोण्डा के कुल 18 सामुदायिक केन्द्र एवं 02 जनपद मुख्यालय पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कुल 18 वाहन की व्यवस्था करेंगे।
3. बन्द वाहन/वाहन चालक, ईंधन, मरम्मत सहित रु० 29951.00 प्रतिमाह (25 दिन) की दर से भुगतान किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित वाहन पूरे माह अदिकतम 2000 किमी तथा कम से कम 1000 किमी चलेगी। 2000 किमी से अधिक चलने पर राश्या को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा के स्तर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
4. वाहन ऐसा होगा जिसमें टीम के 04 सदस्यों की बैठने एवं सामान रखने की समुचित व्यवस्था होगी।
5. वाहन उपलब्धता का समय प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक होगी।

(Signature)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गोण्डा

6. टैक्सी परमिट, डी0एल0, आर0सी0, कम्प्रीहेन्सिव इश्योरंस, रोड टैक्स की अहंता पूरी है, तथा सर्विस टैक्स/डीजल/मोबिल/वाहन चालक के मानदेय का भुगतान भी वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
7. वाहन को चालू हालत में रखने हेतु समय-समय पर इसकी साफ-साफाई व आवश्यक रखरखाव सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। वाहन की नियमित जांच हेतु यदि कभी वाहन को मैरिज आदि भेजना पड़े तो उस अवधि में सेवा प्रदाता को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
8. वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाइल रहेगा।
9. अनुबन्ध दिनांक 31.03.2018 तक के लिए होगी जो कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बिलों के परीक्षणपर्यन्त सही पाये जाने पर 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा अचौहस्ताक्षरी के निर्णय के अधीन होगा।
12. बिलों का भुगतान सम्बन्धित अधीक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त किया जायेगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि रु 2,00,000.00 (रुपये दो लाख मात्र) भी जब्त कर ली जायेगी।
14. यदि एन0एच0एच0 के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किराये में कोई वृद्धि की जाती है, तो वही हुई दर नियमानुसार एजेन्सी को दिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा पूर्ण विवेक से सोध-समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

<p>हस्ताक्षर..... अनुबन्धित संस्था..... द्वितीय पक्ष..... स्थान..... दिनांक.....</p>	<p>हस्ताक्षर..... मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा जनपदीय स्वास्थ्य समिति-एन0एच0एच0 प्रथम पक्ष जनपद गोण्डा स्थान..... दिनांक 31/7/18</p>
---	--

CURRENT STATUS OF VEHICLE UNDER SUPPORTIVE SUPERVISION FOR 2017-18

Sl. No.	Name of C.H.C./District	Type of vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No.	Contract Period		Tender Rate Approved	Name of Agency	Mobile No.	Name of MOIC	Mobile No.
					From	To					
1	TARABGANJ	BOLERO	UP 42AT2985	CC/STA/UP/2012/06254	2017	31-3-2018	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
2	HALDHARMAU	BOLERO	UP 43 T 7468	UP/43/102/AIUP/2016/114	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
3	PARASPUR	BOLERO	UP 43 T 8296	UP/43/102/AIUP/2017/132	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
4	COLONELGANJ	BOLERO	UP32DN3875	UP/32/AUPH/AITP/2016/389	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
5	MANKAPUR	BOLERO	UP43T6452	UP/43/102/AITP/2015/80	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
6	MASKNWA	BOLERO	UP43T6460	UP/43/102/AITP/2016/115	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
7	MUJEHANA	BOLERO	UP 43T 5896	CC/STA/UP/2014/02874	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
8	WAJIRGANJ	BOLERO	UP 43 T 7572	CC/STA/UP/2016/04814	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
9	NAWABGANJ	BOLERO	UP 43T4477	UP/STA/AI/2012/03610	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
10	BABHANJOT	INDIKA	UP43T6707	UP/32/102/AITP/2015/92	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
11	KAJIDEVAR	BOLERO	UP 43 T 6327	CC/STA/UP/2015/00162	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
12	PANDRIKIPAL	INDIGO	UP32HN6632	UP/32/AUTH/AITP/2017/2918	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
13	ITIYATHOK	BOLERO	UP42AT1048	CC/STA/UP/2013/08220	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
14	KATRABAZAR	BOLERO	UP45T1569	CC/STA/UP/2014/00145	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
15	RUPAIDEEH	BOLERO	UP32N9424	UP/32/102/AITP/2012/146	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
16	BELSAR	BOLERO	UP43T8128	CC/STA/UP/2017/02980	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
17	DISTRICT-I	BOLERO	UP43T2108	CC/STA/UP/2010/02540	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		
18	DISTRICT-II	BOLERO	UP 43T6566	UP/43/102/AITP/2015/88	"	"	29951	OMMPS Gonda	9453949431		

(मान चन्द्र शर्मा)
 प्रमुख सहायक एवं एच.ओ. एम.ओ.
 कार्यालय नं. 10, एच.ओ. एम.ओ.
 कार्यालय नं. 10, एच.ओ. एम.ओ.

अमर नाथ
 जिला कार्यलय प्रबन्धक
 एच.ओ. एम.ओ. एम.ओ.
 नोडल अधिकारी/ए.सी.एम.ओ.
 जिला कार्यालय प्रबन्धक
 कार्यालय नं. 10, एच.ओ. एम.ओ.

(दिलीप कुमार)
 लेखाकार
 कार्यालय नं. 10, एच.ओ. एम.ओ.

वित्त एवं लेखाधिकारी
 कार्यालय नं. 10, एच.ओ. एम.ओ.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 कार्यालय नं. 10, एच.ओ. एम.ओ.